

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ०ग०)
क्रमांक क/वाचक-1/2017/367
घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017

कलेक्टर
(भू-अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर०एन० 2896/सात-1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ़ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. जरेकैला
7. मौहंपाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2- उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन "आवेदक कंपनी एन०टी०पी०सी० लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है" के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र- 10 ग्राम का
प्रतिवेदन

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)
—:: ईशतहार::—

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईशतहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक-पृथक) में ईशतहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक 08 मई, 2017 तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.04.2017 को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।



17.4.17
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़, छ.ग.

विषय:— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संदर्भ:— आपका आदेश क्रमांक 110805/भू-अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र क्रमांक क/वाचक-1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।



ग्राम बरकसपाली, तहसील— तमनार, जिला रायगढ़

- प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम के लिए है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपक्रम की एक इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल बलॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात् भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दूरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता है।
- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं अधिसूचित क्षेत्र है। अतः भूमि अधिग्रहण के लिए इस क्षेत्र में P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का आयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क.)।
- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा कुल खसरा नं. 43 कुल रकबा 11.24 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 33 व्यक्ति प्रभावित होंगे जिसमें 6 अनुसूचित जन जाति, 5 अनुसूचित जाति 22 अन्य संवर्ग है। तथा 9 सीमांत, 10 लघु, 14 सामान्य कृषक है। जिसका विवरण संलग्न



है (अनु. क.) । उपरोक्त विवरण से सपष्ट है की किसी भी व्यक्ति का पुरी जमीन नहीं जा रही है ।

- इस ग्राम में इस रेल लाईन को विछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि यहां पर रेल लाईन का ALIGNMENT बदलना पड़ा क्योंकि पूर्व में प्रस्तावित रेल लाईन ऐसे क्षेत्र से जा रही थी जो कि किसी अन्य उद्योग को पूर्व में ही अधिग्रहित कर दिया जा चुका है ।
- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है । इस परियोजना के निमार्ण में इस बात का ध्यान रखा गया है । कि कोई भी बसाहट, अबादी, भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है । और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है । विकल्प उपलब्ध नहीं है आस पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है ।
- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क. ...) । उन्होंने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है । वह न्यूनतम है, और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है ।
- समिति के संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है ।



- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।
- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क.) ।
- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
- प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपक्रम द्वारा निश्चय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्या केवल 33 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम बरकसपाली की खसरा नं 279,

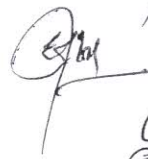


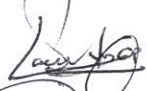
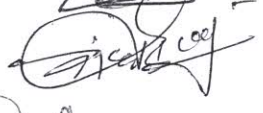
277/2, 277/3, 278/1, 278/4, 278/3, 263/4च, 263/10, 263/4छ, 265/9, 263/4झ, 265/10, 250/4क, 255/1, 255/2, 275/10, 275/6, 256/1, 256/2, 261/1, 263/12, 263/16, 263/11, 262/1, 250/6, 250/2, 250/3, 245/1, 246/3, 250/9, 245/2, 246/9, 246/7, 265/16, 265/17, 250/4च, 265/15, 264/1, 264/2, 263/13, 250/5, 247, 250/8 रकबा कमशः 0.02, 0.45, 0.62, 0.07, 0.12, 0.15, 0.11, 0.05, 0.12, 0.02, 0.03, 0.08, 0.07, 0.12, 0.02, 0.08, 0.04, 0.50, 0.25, 0.28, 0.10, 0.10, 0.10, 0.42, 0.70, 0.75, 0.22, 0.75, 0.22, 0.75, 0.96, 0.83, 0.20, 0.80, 0.20, 0.80, 0.40, 0.04, 0.02, 0.05, 0.08, 0.25, 0.18, 0.05, 0.09, 0.13, 0.82 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी


सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनीकी विशेषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक


विषय:- सुनथीपीली लिमि. रेलवे कारीडोर परियोजना
की सामाजिक समाधान निर्धारण हेतु
जनसुनवाई ।

ग्राम - बरकसपाली, तह.- तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
दिनांक - 30/03/2016

आज दिनांक- 30-3-2016 को ग्राम
बरकसपाली में NTPC द्वारा समाधान
आवश्यक निर्धारण हेतु माननीय-
सुनु विभागीय अधिकारी का/ अग्रपक्ष
में जनसुवाई किया गया जिसमें
समाजिक समाधान के रेलवे सदस्य
उपस्थित रहे। जनसुवाई में
निम्नानुसार कार्यवाही का/ गई

1. रेलवे कारीडोर परियोजना में
ग्राम बरकसपाली के कुल 33 कुल
का भूमि कागज दिखाता रहा है
जिसमें कुल अर्ब. 43 कुल 2000
म. 543 है. अर्ब. 11.24 एकड़ जमीन
समाविष्ट है रहा है

2. माननीय सुनु विभागीय अधिकारी
द्वारा प्रकाशित है, पुनर्वास के
समाधान में चका विभागाधीन
महोदय द्वारा सामाजिक समाधान,
निर्धारण के समाधान में चका
विभागाधीन एवं उपस्थित सदस्य
के सुझाव आमंत्रित किया गया।

[illegible]

६ सुनकरा अही आकरा कर
 निरक लि अउराल अउर का
 जायेर उर पल निरक अउर
 अउर अही निरक जायेर अउर
 निरक का निरक अउर
 अउर अही अही अही
 जायेर /

⑤ अनु-मिति-महोदय जी स्वच्छ मात
मिनीग कार्यालय में अनु-मिति मिनीग
के उपस्थिति में उपस्थित सदस्यों को
समझाया कि यदि वह जहाँ-कहीं
मिनीग को ले जाते हैं तो
वही रहे।

क्र.	नाम	गाव वरकसपाळी	हेलाक्षर
①	मुरली सरपंच	वरकसपाळी	मुरली
②	वंशी धरसाई	वरकसपाळी	वंशीधर
③	सुदर्शन साई	वरकसपाळी	सुदर्शन साई
④	अरखीत साई	वरकसपाळी	अरखीत
⑤	रामलाल गिषाई	वरकसपाळी	रामलाल
⑥	छड्डू राम	वरकसपाळी	
⑦	बबळू पटेळ	वरकसपाळी	बबळू
⑧	ललीत पटेळ	वरकसपाळी	ललीत
⑨	उ. स. यादव		उ. स. यादव
⑩	शिव कुमार		शिव कुमार
⑪	संजयलाल जाई		
⑫	अनवरी बेगम		अनवरी बेगम
⑬	ओम प्रकाश पंधे		ओम प्रकाश पंधे
⑭	सिता राय		सीता राय
⑮	मनदलाल		मनदलाल

(16)	सुरन कुमार	RKP
(17)	राज कुमार पटेल	RKP
(18)	टिके खट	टिके खट
(19)	रघु नंदन	रघु नंदन
(20)	गांडा राय	गांडा राय
(21)	गौतम	गौतम
(22)	राम यादव	दीपक यादव
(23)	अमरीक बाई	
(24)	धु राऊ राम	धु
(25)	मनीराम	
(26)	पुनीराम	
(27)	सुनाऊ राम	पु नारायण
(28)	पालु राम	पालु राम
(29)	व्यारीलाल चौहान	व्यारीलाल चौहान
(30)	श्याम लाल	श्याम

31	अभय राम यादव	अभय राम यादव
32	शिवलाल निषाद	शिवलाल
33	कार्तिक निषाद	कार्तिक
34	आलिक निषाद	आलिक
35	गणेश सिद्धा	
36	राम प्रसाद सिद्धा	
37	सिता वर्मा	सिता वर्मा
38	रमजान	रमजान खान
39	उस्मान	उस्मान
40	इमरान खान	इमरान
41	मोहर साध	मोहर साध
42	भगल सिंग	भगल सिंग
43	देव कुवर	
44	अश्वनी कुमार्	अश्वनी
45	मोहर साध यादव	मोहर साध

46	सुधपुरम यादव	मरकलपली	सुध
47	कुशलकुमार यादव		कुशल
48	भागरथीराम		शायिका
49	बुधराम चौहान	— 11 —	जयराम
50	विजय कुमार यादव		बागेश्वर
51	बेदमति		बेदमति
52	मयावीतबाई		
53	मोहन लाल		हरिकुंवर
54	कार्तिकराज	— 11 —	
55	बहारलीन बाई		
56	लाला राम		राम
56	दुर्गा प्रसाद	— 11 —	दुर्गा
58	शंकर प्रसाद		
59	राम प्रसाद चौहान	— 11 —	राम
60	संजुन साय		

61	लुलाराम साहू	बालकलपाली	
62	संतोष साहू		निर्मला साहू
63	डभरू साहू		डभरू (ला)
64	सुरज साहू	- / -	सुरज साहू
65	विष्णु साहू		मंजुलता
66	चन्द्रमानु साहू		चन्द्रमा
67	अहिल्याबाई	- / -	अहिल्या
68	हिराधन साहू		हिराधन
69	गीता बाई		गुलाब सुन्दर
70	चन्दन सिंघार	- / -	चन्दन सिंघार
71	मन्जील गत्र		
72	संजु साहू		संजु साहू
73	अमरसिंग		अमरसिंग
74	चन्द्रशेखर साहू	- / -	
75	गंगाराम साहू		गंगाराम

76	भगवति बाई	वरकसपाली	
77	रवीचन्द्र कुमहार		रविचन्द्र
78	श्याम लाल निषाद	— / —	श्याम लाल
79	संतोषी बाई		संतोषी
80	मुकुन्द राम	— / —	मुकुन्द
81	सनातन राठिया		सनातन
82	लोखेश्वर यादव		लोखेश्वर
83	नारायण राठिया	— / —	नारायण
84	लक्ष्मी राठिया		लक्ष्मी
85	पिनतल चौधरी	— / —	पिनतल
86	अश्वनी कुमहार		अश्वनी कुमहार
87	जोसनायादव भागनवाडी	— / —	जोसनायादव भागनवाडी
88	प्रकाश पटेल		चन्द्र किशोर
89	चन्डीका प्रसाद चौधरी		Sunil/Chowd
90	अदरस चौधरी		जयलक्ष्मी

91	जोबान्दराधियासयंय) वलकसपाली	मिर्चामा
92	अर्जुन राधिया	अर्जुन
93	लोकनाथ चौधरी	राजेश
94	निर्मल प्रसाद चौधरी	निर्मल प्रसाद
95	कमलेश चौधरी	कमलेश
96	बादुर चौधरी	बादुर चौधरी
97	बाई के चौधरी	बाई के
98	बेदराम चौधरी	दीपक
99	पुरेजन चौधरी	पुरेजन चौधरी
100	साहेवराम	साहेवराम
101	कार्तिकेश्वर	कार्तिकेश्वर
102	राज कुमारी	राज कुमारी
103	जोबर्धन	कैदा
104	च्यारी बाई	च्यारी बाई
105	मानसिंजीमिदा	मानसिंजीमिदा

106	पदमणि बाई	वरकसपाली	पदमिनी
107	हेमो बाई		
108	भागवती बाई		
109	प्रेमसाययादव	- 11 -	
110	अरतकुमार मिदल		अरतकुमार
111	सुदर्शन साहू		सुदर्शन साहू
112	लमारीसिंगराठिया		
113	उमाशेकरराठिया	- 11 -	
114	दिपक सारथी		
115	गुरुचरण यादव		गुरुचरण
116	मदीपरवान	- 11 -	मदीपरवान
117	कलारामराठिया		कलाराम
118	अजीम खान	- 11 -	अजीम
119	सलीम खान		अजीम अलीम
120	असलम खान		अलीम

121	टिकेश्वर यादव	बालक संपाली	टिकेश्वर
122	लक्ष्मी प्रसाद सारथी		लक्ष्मी
123	सुन्दर साय घोषा	— / —	सुन्दर साय
124	प्रकाश सारथी		प्रकाश
125	बुद्धु सिंग		बुद्धु राय
126	अनिम कुमार	— / —	अनिम कुमार
127	डॉ. मुज साहू		डॉ. मुज
128	पुनीराम	— / —	पुनीराम
129	बालम प्रसाद		बालम प्रसाद
130	देवचरण	— / —	देवचरण
131	करम सिंग		करम सिंग
132	सलोष सिंघार	— / —	सलोष सिंघार
133	अनारवी क्वार्ड		अनारवी
134	सेन कुमार	— / —	सेन कुमार
135	हिरालाल राठिया		हिरालाल

136	आयुध कुमार	बरकस पाखी	आयुध क
137	केली राम		केली रा,
138	जगदीश राठिया		जगदीश रा
139	पतिराम यादव		पतिराम
140	ईसराम खान	— 11 —	ई सराम
141	रामकुमार यादव		रामकुमार
142	दुरक राम सारथी		दुरक राम
143	रुमान खान	— 11 —	रुमान खान
144	राम प्रसाद कोटवार		राम प्रसाद
145	रती राम	— 11 —	रती राम
146	फला राम		फला राम
147	अबलु सिंगर	— 11 —	अबलु
148	जैयराज चौहान		जैयराज
149	रोशन चौहान	— 11 —	रोशन चौहान
150	जगेश्वर यादव		जगेश्वर

151	प्रीती साहू	चरकहाली	पिवरी
152	मल्छु राम साहू	— 11 —	मल्छु साहू
153	मागीरली		मागीरली
154	हृदय राम	— 11 —	हृदयराम
155	रामदास नांग		रामदास
156	राधिया कुमार	— 11 —	राधिया
157	ललील कुमार		नवीत
158	बेहराम पटेन	— 12 —	बेहराम पटेन
159	चुवाकु राम	— 11 —	चुवाकुराम
160	सिलाराम खयाल		सिलाराम
161			
162			
163			
164			
165			

ग्राम	बरकसपाली	प०ह०नं०	राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)
प्रभावित खातेदार का विवरण			

क्रमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर	रकबा अंजित (हेक्टेयर)	रकबा अंजित (ए०)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अंजित भू-खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किस्म जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई पिकांली फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	डमरुधर व. समाराम जाति कंवर	279	0.753	0.008	0.02	0.753	असिंचित	धान	S	ST
2	बबल पाण्डे पिता सत्यनारायण जाति बाम्हण	277/2 277/3	1.183 1.359	0.182 0.250	0.45 0.62	3.767	असिंचित असिंचित	धान धान	AM	GN
3	निर्मल तुलाराम कृपाराम बहादुर व. डोकरीलाल जर्मिला बे. डोकरीलाल जाति अधरिया	278/1 278/4	0.249 0.062	0.028 0.048	0.07 0.12	2.308	असिंचित	चड़द	AM	OBC
4	चन्द्रमान व. प्रेमलाल आसमती व. प्रेमलाल जाति अधरिया	278/3	0.062	0.062	0.15	5.685	असिंचित	चड़द	O	OBC
5	अश्वनी कुमार पिता धनश्याम जाति अधरिया	263/4 च 263/10	0.092 0.115	0.044 0.020	0.11 0.05	2.810	असिंचित असिंचित	धान	AM	OBC
6	शुक्लाम्बर व. धनेश्वर जाति अधरिया	263/4 छ 265/9	0.047 0.109	0.047 0.008	0.12 0.02	1.702	असिंचित असिंचित	धान	L	OBC
7	पुष्कर पिता धनश्याम जाति अधरिया	263/4 झ 265/10	0.172 0.043	0.012 0.032	0.03 0.08	1.266	असिंचित असिंचित	धान	L	OBC
8	कुम्हारसिंह व. बटाऊ जाति रावत	250/4 क 255/1	0.115 0.049	0.028 0.049	0.07 0.12	0.049	असिंचित	चड़द	s	OBC
9	अशोक कुमार सरजू प्रसाद पिता माखनलाल जाति तेली	255/2	0.085	0.008	0.02	0.085	असिंचित	धान	s	OBC
10	रामकुमार व. राममजन जाति रावत	275/10	0.809	0.032	0.08	0.809	असिंचित	चड़द	S	OBC
11	रोहित कुमार पिता निर्मल जाति अधरिया	275/6	1.214	0.016	0.04	1.214	असिंचित	धान	L	OBC
12	सनमती बेवा हेताराम जाति कंवर	256/1	1.254	0.202	0.50	1.254	असिंचित	धान	L	ST
13	परदेशी वो विधिकेशन पिता मंगलसिंह जाति गाड़ा	256/2	0.405	0.101	0.25	0.405	असिंचित	धान	S	SC
14	रामलाल श्यामलाल पिता मुकुतराम जाति कैंवट	261/1	0.114	0.114	0.28	0.571	असिंचित	धान	S	OBC
15	टिकमसिंह व. जगमणी जाति अधरिया	263/12	0.115	0.040	0.10	6.948	असिंचित	धान	O	OBC
16	राजकुमार व. पिताम्बर जाति अधरिया	263/16 263/11	0.115 0.115	0.040 0.040	0.10 0.10	1.784	असिंचित असिंचित	धान	L	OBC
17	युगलकिशोर व. डोलनारायण जाति अधरिया	262/1	0.280	0.170	0.42	0.280	असिंचित	धान	S	OBC
18	पंचकू व. मागीरथी जाति कुम्हार	250/6	1.060	0.283	0.70	1.214	असिंचित	धान	L	OBC
19	धनसाय व. गंजहा जाति घसिया	250/2	1.416	0.304	0.75	1.416	असिंचित	चड़द	L	SC
20	अजय कुमार व. बालमकुन्द जाति कंवर	250/3 245/1 246/3	0.809 0.809 1.214	0.089 0.304 0.389	0.22 0.75 0.96	2.832	असिंचित असिंचित असिंचित	चड़द धान	AM	ST
21	सुखरू व. खरारी जाति कंवर	250/9	1.364	0.336	0.83	1.619	असिंचित	चड़द	L	ST
22	सनावन व. बैखर जाति कंवर	245/2	0.405	0.081	0.20	4.848	असिंचित	धान	M	ST
23	सुंदरी व. बटाऊ जाति गाड़ा	246/9	1.619	0.324	0.80	1.619	असिंचित	धान	L	SC
24	चैतुराम व. अन्तराम जाति गाड़ा	246/7	0.526	0.162	0.40	1.777	असिंचित	चड़द	L	SC

25	पिनलाल व. घनश्याम जाति अचरिया	265/16	0.083	0.016	0.04	0.083	असिचित	घान	S	OBC
26	कैवराबाई बे. डोलनारायण सुशिला सुमित्रा प्रेमशीला बेदराम वो युगलकिशोर पिता डोलनारायण जाति अचरिया	265/17 250/4 च	0.064 0.020	0.008 0.020	0.02	0.084	असिचित असिचित	घान उडद	S	OBC
27	देवकुंवर बे. धनेश्वर ओमप्रकाश टेकलान्वर पदमावती व. धनेश्वर जाति अचरिया	265/15	0.073	0.032	0.08	2.871	असिचित	उडद	AM	OBC
28	रामकुमार सतकुमार पिता मनमजन विजय कुमार व. मनमजन साधमति पुत्री मनमजन गणेशमति बेवा मनमजन जाति रावत जाति	264/1	0.101	0.101	0.25	2.100	असिचित	घान	AM	OBC
29	ननकू व. खारी मनमजन व. नारायण जाति रावत	264/2	0.433	0.072	0.18	2.410	असिचित	घान	AM	OBC
30	बंसीधर व. कनीराम जाति अचरिया	263/13	0.115	0.020	0.05	3.771	असिचित	घान	AM	OBC
31	रामप्रसाद व. नथूराम जाति गांडा कोटवार सेवा भूमि	250/5	0.737	0.036	0.09	4.141	असिचित	घान	M	SC
32	आनंदसिंह बहारतीन व. सहाराम जाति कंवर	247	1.465	0.053	0.13	2.532	असिचित	घान	AM	ST
33	मथूराम मुनूराम पिता जनकराम मु. कसडीलिहीन बे. जनकराम मोगरा मथुरा पिता जनकराम जाति तेली	250/8	2.023	0.332	0.82	2.023	असिचित	घान	AM	OBC
योग	33	43	23.252	4.543	11.24	67.03				

प्रति,

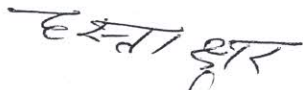
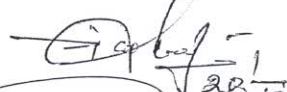
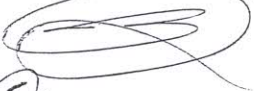
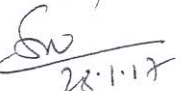
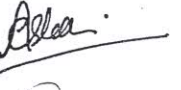
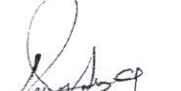
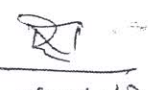
सन्दर्भ : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरदोड़ा जिला रायगढ़
कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ धरदोड़ा के पत्र क्रमांक
11805/अ अर्जन/2016 राफांद दिनांक 16/12/16

विषय : अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा
के अन्तर्गत स्वयं समाजिक स्तरों पर प्रबंधन योजना के
तहत ग्राम बरकसपाली तहसील वमनार जिला रायगढ़ 'द' ग.
के ग्राम्यांकन से रिपोर्ट।

उपरोक्त विषयों पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
धरदोड़ा कि उचितता में विशेष दल के समूह के साथ
धरदोड़ा में एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विषयानुसार
हर विन्दुओं पर चर्चा हुई। ग्राम बरकसपाली तहसील
तहसील वमनार जिला रायगढ़ कि निम्नी भूमि के
अधिकृतों का प्रस्ताव है, यह भूमि तिलाई चाली कोल
गाइन्स से शन वी. पी. सी. लारा कोल परिवार, रेल
कैरीडोर के लिए प्रस्तावित है बरकसपाली तहसील
भूमि का रकबा 11.23 एकड़ और ट्रैक की लम्बाई
1.616 किमी है सम्बंधित दस्तावेजों का अध्ययन
करने के पश्चात यह पता चला कि भूमि का अर्जन
कोहरी लार्न का दस्तावेज 22वें कर किया गया है जिसमें
कारमेशन के कोड़ा कारमेशन 10 करिंग का भरड़ा, दलान
वसा चानी निकास के लिए गली कि कमकस्थल वसा
दिल प्रतिदिन भरमत में लगने वाले सामान का लेन
देन के लिए भी भूमि का प्रबंधन रखा गया है।
अतः यह सत्यापित किया जाता है कि ग्राम बरकस
पाली, तहसील वमनार जिला रायगढ़ कि निम्नी भूमि
रेलवे ट्रैक बनाने के अन्तर्गत है प्रस्तावित है अतः
भूमि अधिकृत नहीं कि जा रही है।

हरीश सेवानिवृत्त कार्यपालन
अभिर्भता द.पू.म. रे.
विलासपुर

आज दिनांक 28/01/2017 को तबईपाली केल
माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का
सामाजिक समाधान निर्धारण एवं प्रबंधन हेतु
प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट
कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित
सदस्य गण उपस्थित थे।

- | नाम | हस्ताक्षर |
|------------------------------|---|
| 1. — गांधी वैद्य - |  |
| 2. — योगेश शर्मा - |  |
| ③ Harpal - | 
28/1/17 → 8109188088 |
| ④ श्री Dixit | 
→ 9425235366 |
| ⑤ Sudh. V. Dandekar | 
28/1/2017 → 9826370111 |
| ⑥ S. Jayaraman | 
28.1.17 |
| ⑦ Alla Gurema |  |
| ⑧ राधेश्याम शर्मा |  |
| ⑨ C.M. Naik (GM.TL) | 
28-01-17 |
| ⑩ N.M. Swen, Sr. Mgr., Temp. | 
28.01.17 |